भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1662

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आजीविका में सुधार के लिए पहल

1662. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्माण कामगारों, गिग वर्कर्स, कचरा बीनने वालों, परिचर्या कामगारों, घरेलू कामगारों और परिवहन कामगारों जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के वंचित वर्गों की आजीविका में सुधार के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू करके सन्निर्माण कामगारों, गिग कामगारों, कचरा बीनने वालों, देखभाल करने वाले कामगारों, घरेलू कामगारों और परिवहन कामगारों जैसे असंगठित कामगारों की आजीविका में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: (i) स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), (ii) जीवन और निःशक्तता के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (iii) दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iv) वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), (v) बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान कामगारों के लिए श्रम कल्याण योजना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (vii) पीएम आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), (viii) पीएम आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), (ix) हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (x) शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना, (xi) फेरीवालों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), (xii) एक वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)।

जारी..2/-

केंद्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपाय करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरईएंडसीएस) अधिनियम, 1996] अधिनियमित किया है। इसे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है।

ऑनलाइन प्लेटफार्म के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और उनके पहचान पत्र की व्यवस्था करने और एबी-पीएमजेएवाई स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।

कचरा बीनने वालों के घटक को वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 से राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करके, कचरा बीनने वालों के कचरा बीनने, रिकवरी और रीसाइक्लिंग में योगदान को पहचानना और उन्हें मजबूती प्रदान करना है, ताकि उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ा जा सकें।

इस योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग, उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट देना, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज और कचरा बीनने वालों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अपशिष्ट संग्रह वाहन के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है।

साथ ही, सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया है। ई-श्रम- "वन स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। अब तक, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एबी-पीएमजेएवाई, पीएम-स्वनिधि, पीएमएवाई-यू, पीएमएवाई-जी, मनरेगा सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

*****